कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (राज0)

क्रमांकः– ननिको / राजस्व / 2021 / 409. दिनांकः– 19/3/21.

–: आम–सूचना :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कोटा विज्ञापन उपविधियों एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शन (समाचार पत्रों एवं टीवी चेनलों में प्रकाशित विज्ञापनों को छोडकर) करने के लिये नगर निगम कोटा से अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य है।

उक्त विज्ञापन प्रदर्शन अनुज्ञा प्राप्त करने से पूर्व सभी एडवरटाईजर्स (व्यक्ति / संस्था / ऐजेन्सी / फर्म / कम्पनी) को नगर निगम कोटा में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकृत संस्था ही निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अधिकृत होगी। पंजीकरण वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2023 तक) के लिए होगा। पंजीकरण वर्ष में कभी भी कराया जा सकता है। जिसमें पंजीकरण शुल्क व बैंक गारण्टी वित्तीय वर्ष अनुसार ही देय होगी। जिसके लिए पूर्व की फर्मो को बकाया राशि जमा करानी होगी। जिसमें निर्धारित श्रेणी के अनुसार दो वर्षीय बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी। तथा वर्ष 2021–23 के लिये दो वर्षीय पंजीकरण राशि जमा करानी होगी। पंजीकरण के संबंध में सम्बन्धित दस्तावेज नगर निगम कोटा में जमा कराने होंगे। बिना पंजीकृत एडवरटाईजर्स (व्यक्ति / संस्था / ऐजेन्सी / फर्म / कम्पनी) द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र में **ई–प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया** द्वारा ऑनलाईन नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा एवं विज्ञापन प्रदर्शन का कार्य नहीं कर सकेगा तथा विज्ञापन प्रदर्शन कार्य को अवैध माना जाकर कार्यवाही की जावेगी।

श्रेणी का प्रकार	निविदा सीमा(कार्य)	पंजीकरण शुल्क (गैर वापसी योग्य) एक वर्षीय	बैंक गारंटी वर्ष 2021–23 के लिये)
A	1 लाख से 25 लाख तक	20,000 / –	दस लाख रूपये
B	25 लाख से 50 लाख तक	30,000 / –	बीस लाख रूपये
C	50 लाख से अधिक	50,000 / –	तीस लाख रूपये

नोट :–

1. उक्त सारणी में प्रदर्शित दरों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।
2. विज्ञापन फर्मो द्वारा यदि पंजीकरण नही करवाया जाता है तो विज्ञापन फर्मे निविदा में भाग नही ले सकती है।
3. जिन विज्ञापन फर्मो का बकाया है तो बकाया राशि निगम कोष में जमा करानी है। साथ ही उनको निर्धारित श्रेणी की राशि के अनुसार पंजीकरण शुल्क जमा करने के पश्चात् ही आगामी वर्षो का पंजीकरण किया जा सकेगा।
4. उक्त सूचना में किसी भी तरह के कोई नियम / राशि में परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम कोटा में निहीत होगा।
5. पंजीकरण के लिऐ फर्म का रजिस्ट्रेशन / संचालक का आधार कार्ड / पेनकार्ड / दो फोटो / पिछले वर्ष की बैंक की बैलेंस शीट / इनकम टैक्स रिटर्न पिछले तीन वर्ष का / बैंक गारंटी श्रेणी अनुसार प्रस्तुत करने होगें।

अति0 आयुक्त
नगर निगम कोटा,उत्तर

क्रमांकः– ननिको / राजस्व / 2021 / 409. दिनांकः– 19/3/21.

प्रतिलिपि :–

1. पुस्तकालयाध्यक्ष नगर निगम कोटा को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर (दोनों) राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें।

अति0 आयुक्त
नगर निगम कोटा,उत्तर

Revenue General Letter.4.1080